मध्यप्रदेष पावर जनरेंटिग कंपनी लिमिटेड

कार्यालय : अधीक्षण अभियंता (एम.पी.सी. एवं प्रषिक्षण)
अमरकंटक ताप विद्युत गृह चचाई जिला–अनूपपुर (म.प्र.) 484220

आज़ादी का

दूरभाष 07659–263787
ई मेल–setrgatps001@gmail.com

क्रमांकः 001–01/प्रशिक्षण/411 चचाई, दिनांक –21/10/2026

विज्ञापन

अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अन्तर्गत ग्रेज्यूएट/टेक्निशियन (डिप्लोमा) अप्रेंटिस के लिए अवेदन वर्ष 2026–2027 हेतु म.प्र. राज्य के शासकीय/अशासकीय मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग/पॉलिटेक्निक कॉलेज एवं म0प्र0 राज्य के युनिवर्सिटी से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से निम्नलिखित शाखाओं में एक वर्षीय (एक वर्ष) अप्रेंटिस प्रशिक्षण हेतु आवेदन पत्र **ऑनलाईन** आमंत्रित किये जाते हैः–

क.	शाखा	ग्रेज्युएट अप्रेंटिस						टेकनीशियन अप्रेंटिस					
		सामान्य	अपिव	अजा	अजजा	ई. डब्लू एस.	कुल	सामान्य	अपिव	अजा	अजजा	ई. डब्लू एस.	कुल
1	मैकेनिकल इंजीनियरिंग	3	2	1	1	0	7	1	1	निरंक	1	निरंक	3
2	इलेक्ट्रीकल इंजीनियरिंग	3	2	1	1	0	7	1	1	निरंक	1	निरंक	3
3	इलेक्ट्रीकल एण्ड इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग	1	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	1	1	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	1
4	जनरल स्ट्रीम ग्रेजुएट	2	1	1	1	0	5	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
कुल ग्रेजुएट अप्रेंटिस							20	कुल टेक्निशियन अप्रेंटिस					7

नोटः–

i. उक्त रिक्तियां केवल म.प्र. के मूल निवासी उम्मीदवार के लिए है। **ऑनलाईन आवेदन की अंतिम तिथि दिनाँक–20/11/2026 है।**
ii. विभिन्न वर्गों का आरक्षण, म.प्र. शासन के नियमानुसार किया जावेगाा।
iii. अन्य पिछडा वर्ग के आरक्षण पर माननीय उच्च न्यायालय के निर्णयानुसार रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है।
iv. इस वर्ष में समय–समय पर होने वाली रिक्तियों को भी इस विज्ञापन के माध्यम से प्राप्त आवेदनों से भरा जा सकेगा।

प्रशिक्षण के लिए लागू नियम व शर्तेः–

1. **शैक्षणिक/तकनीकी योग्यता**:–शासन के नियमानुसार संबंधित विषय में –

अ) ग्रेज्युएट अप्रेंटिसः– मान्यता प्राप्त युनिवर्सिटी से उपरोक्त विषय में इंजीनियरिंग/टेक्नालॉजी में डिग्री।

ब) टेकनीशियन अप्रेंटिसः– म0प्र0 तकनीकी शिक्षण से मान्यता प्राप्त संस्थान से उपरोक्त विषय में इंजीनियरिंग/टेक्नालॉजी में डिप्लोमा।

स) जनरल स्ट्रीम ग्रेजुएट– मान्यता प्राप्त युनिवर्सिटी से निम्न विषय – **बी फार्मा.,बी.सी.ए, बी एस.सी., बी.ए.,एवं बी.कॉम में डिग्री (B.Pharma , Degree in BCA, B.Sc, B.A, and B.Com) ।**

2. पात्रताः–

(अ) अभ्यर्थी किसी भी स्थापना /संस्था में इससे पूर्व अप्रेन्टिसशिप हेतु पंजीकृत न हुआ हो तथा किसी भी संस्थान में एक वर्ष या अधिक समय तक कार्य न किया हो ।

(ब) अभ्यर्थी ने अपनी डिग्री /डिप्लोमा वर्तमान सत्र 2026–27 से अधिकतम पांच वर्ष (2022, 2023, 2024, 2025 एवं 2026) के अन्दर उत्तीर्ण किया हो।

(स) प्रशिक्षुओं का चयन उनके शाखा में प्राप्ताकों की प्रवीण्य सूची (मेरिट लिस्ट) के आधार पर किया जावेगा ।

01. प्रशिक्षुओं का प्रशिक्षण समाप्त होने पर म0प्र0पा0ज0कं0लि0 द्वारा न तो कोई भी नियुक्ति देने की बाध्यता होगी और न ही प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण समाप्त होने के पश्चात नियोक्ता के पास कार्य करने की बाध्यता होगी ।
02. आवेदन पत्र में अपूर्ण/त्रुटिपूर्ण जानकारी अथवा असत्य जानकारी देने पर आवेदन निरस्त कर दिया जावेगा ।
03. ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि **20/11/2026** है। निर्धारित अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।
04. ग्रेज्युएट अप्रेंटिस को रू.12300/– (रू बारह हजार तीन सौ मात्र) एवं टेकनीशियन अप्रेंटिस को रू 10900/–(रू दस हज़ार नौ सौ मात्र) प्रतिमाह शिष्यवृत्ति का भुगतान किया जावेगा ।
05. आवेदक अपना आवेदन एवं सम्पूर्ण जानकारी निर्धारित प्रारूप में प्रमाणित/सत्यापित/स्वयं सत्यापित प्रतिलिपियों के साथ अपलोड करें। अनावश्यक प्रपत्र संलग्न न किये जावें । चाही गई जानकारी निर्धारित प्रारूप में ही दें अन्य किसी आवेदन पत्र के प्रारूप को स्वीकार नहीं किया जावेगा ।
06. आवेदक अपना ईमेल आईडी स्पष्ट लिखें और उसे समय.समय पर देखते रहें साथ ही साथ नीचे दी गयी कम्पनी की वेबसाइट भी देखते रहें ।
07. आवेदकों को ऑफर लैटर उनके ईमेल आईडी द्वारा भेजे जाएँगे अतः आवेदकों से अनुरोध है की वे अपना ईमेल आईडी आवेदन करने से पहले बना लें जो कम से कम एक साल के लिए वैध हो ।
08. अजा/अजजा/पिछड़ा वर्ग के लियें आरक्षण अप्रेटिंसशिप एक्ट के प्रावधानों के अनुसार रहेगा ।
09. किसी भी प्रशिक्षु के चयन/निरस्त करने का अधिकार बिना किसी कारण बताये म0प्र0पा0ज0कं0लि0 अपने पास सुरक्षित रखता है ।
10. चयनित अप्रेंटिस प्रशिक्षुओं को आवास एवं आवागमन की व्यवस्था स्वयं करनी होगी ।
11. चयनित अप्रेंटिस प्रशिक्षुओं को 500रू. के स्टाम्प पेपर पर प्रत्येक अनुबन्ध इत्यादि आवश्यक रूप से कार्यालय में उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा।
12. चयनित अप्रेंटिस प्रशिक्षुओं को सुरक्षा सामग्री (हेलमेट, ग्लब्स, सेफ्टी–शू, चश्मा इत्यादि) की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।
13. चयनित अप्रेंटिस प्रशिक्षुओं को सुरक्षा की दृष्टि से कम से कम एक लाख की सुरक्षा निधि का दुर्घटना संबंधी बीमा कराना आवश्यक होगा, जिसकी एक प्रति कार्यालय में उपलब्ध करानी होगी।
14. चयनित अप्रेंटिस प्रशिक्षुओं को शासकीय अस्पताल से स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण पत्र (मेडीकल सर्टिफिकेट) एवं पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र कराना आवश्यक होगा, जिसकी मूल प्रति कार्यालय में उपलब्ध करानी होगी।
15. **शिक्षुता अवधि में अभ्यर्थियों को 13 दिवस के आकस्मिक अवकाश, 03 दिन का एच्छिक अवकाश, 10 दिन का चिकित्सा अवकाश एवं साप्ताहिक अवकाश की पात्रता रहेगी।**
16. आवेदन की विस्तृत जानकारी कम्पनी की वेबसाइट http://mppgcl.mp.gov.in/careers.html पर भी उपलब्ध है ।

17. **चयनित प्रशिक्षुओं को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे (Document verification):–**

1. मध्य प्रदेश का स्थाई निवास प्रमाणपत्र ओरिजनल एवं छायाप्रति। (केवल मध्य प्रदेश के अभ्यार्थियों के लिए) (स्वसत्यापित)
2. विकलांगता प्रमाणपत्र की ओरिजनल एवं छायाप्रति। (केवल मध्य प्रदेश के अभ्यार्थियों के लिए) (स्वसत्यापित)
3. जाति प्रमाण पत्र की ओरिजनल एवं छायाप्रति। (केवल मध्य प्रदेश के अभ्यार्थियों के लिए) (स्वसत्यापित)
4. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के प्रमाणपत्र की ओरिजनल एवं छायाप्रति।(केवल मध्य प्रदेश के अभ्यार्थियों के लिए) (स्वसत्यापित)
5. डिग्री /डिप्लोमा की ओरिजनल एवं छायाप्रति या प्रोविजनल /अंतिम सेमेस्टर की छायाप्रति (जिसमें CGPA /कुल प्राप्तांक स्पष्ट हों)।(स्वसत्यापित)
6. 10वी /12वी अंकसूची की ओरिजनल एवं छायाप्रति । (स्वसत्यापित)

01. आरक्षण एवं आयु में छूट:–

i. चयन प्रक्रिया में अनु.जाति/अ.ज.जा./अ.पि.वर्ग आरक्षण नियम (संशोधित) 2015 एवं राज्य शासन के नियमानुसार रहेगा। यदि अनु.जाति/अ.ज.जा. सवर्ग में निर्धारित संख्या में उम्मीदवार उपलब्ध नही होते है तो उक्त संवर्ग की रिक्तियों को आपस में भरा जायेगा। तदोपरांत रिक्त रहने पर अन्य संवर्गो से भरा जा सकेगा।

ii. सभी वर्गो में उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। आयु की संगणना तिथि **20/11/2026** के आधार पर की जावेगी।

iii. सामान्य वर्गो के उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 25 वर्ष होगी तथा अनु.जाति/अ.ज.जा./अ.प.वर्ग (नॉन–क्रीमीलेयर) के उम्मीदवारों की अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट रहेगी।

iv. शिक्षुता प्रशिक्षण की अवधि एक वर्ष रहेगी।

02. चयन प्रक्रिया :–

i. आर्हता सुनिश्चित करने के लिए विज्ञापन के अनुसार प्राप्त आवेदनों की छटाई की जावगी। तत्पश्चात, म.प्र.पा.ज.कं.लि., अ.ता.वि.गृह, चचाई द्वारा प्राप्त हुए आवेदनों में ग्रेज्युएट(डिग्री)/टेक्नीशियन(डिप्लोमा) अप्रेंटिस हेतु डिग्री/डिप्लोमा में सीजीपीए (सेमेस्टर के औसत) के अंको के प्रतिशत के आधार पर योग्यता क्रम (मेरिट लिस्ट) में चयन किया जावेगा। **समान अंक होने पर अधिक आयु वाले उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जावेगी।** आवश्यकता होने पर वेटिंग लिस्ट से चयन किया जायेगा।

ii. उम्मीदवार केवल एक ही व्यवसाय/शाखा में आवेदन भर सकता है।

iii. निर्धारित समयावधि में ज्वाइन न करने पर चयन निरस्त कर दिया जावेगा।

iv. आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) वर्ग का प्रमाणपत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी होना आवश्यक है।

v. चयनित पात्र प्रशिुओं का Final Registration Approval NATS Portal पर Approval होने के बाद ही प्रशिक्षण हेतु बुलाया जायेगा।

vi. प्रशिक्षु का NATS Portal पर Registration Approved के लिए उस दिनांक पर प्रशिक्षु का उत्तीर्ण करने का दिनांक 05 वर्ष (वर्ष 2022, 2023, 2024, 2025, 2026) से ज्यादा नही होना चाहिए अन्यथा उनका Registration Approval नही होगा। Approve न होने की स्थिति में उनका Selection cancel कर दिया जायेगा।

03. स्टाईपेण्ड :–

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा इस संबंध में जारी निर्देशानुसार स्टाईपेण्ड देय होगा, जो वर्तमान में निम्नानुसार है:–

क्र.	आर्हता	मसिक स्टाइपेण्ड (रू0 में)
1	टेक्निशियन (डिप्लोमा) अप्रेंटिस	10900/–
2	ग्रेज्यूएट अप्रेंटिस	12300/–

नोट:– इसके अतिरिक्त अन्य कोई भत्ते/लाभ की पात्रता नही होगी।

04. चिकित्सा/स्वास्थ्य मानकः–

i. चयनित उम्मीदवार को चिकित्सा स्वस्थता प्रमाण पत्र (Certifcate of Medical Fitness) जो कि शासकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/ जिला चिकित्सालय के प्राधिकृत चिकित्साधिकारी द्वारा जारी किया गया हो, जिसे उम्मीदवारों द्वारा ज्वाइनिंग के समय प्रस्तुत करना आवश्यक है। चिकित्सा स्वस्थता प्रमाण पत्र का **प्रारूप (Annexure-I)** संलग्न है।

05. महत्वपूर्ण निर्देष एवं शर्तेः–

i. उम्मीदवार कृपया यह सुनिश्चित कर लें कि, शिक्षुता प्रशिक्षण के लिये योग्यता रखते है तथा उनके द्वारा दी गई सभी जानकारियां सही है।

ii. यदि चयन प्रक्रिया के दौरान किसी भी समय यह ज्ञात होता है कि, उम्मीदवार निर्धारित आर्हताओं को पूरा नही करते है और हमारी आवश्यकताओं पर खरे नहीं उतरते है। अथवा उन्होंने कोई भी जानकारी छुपाई है तो उनकी उम्मीदवारी को निरस्त कर दिया जावेगा एवं प्रशिक्षण समाप्ति जैसी सख्त कार्यवाही की जा सकती है।

iii. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग उम्मीदवार कृपया अपनी श्रेणी ध्यानपूर्वक भरे चूंकि बाद में उनके द्वारा भरी गई कोई भी जानकारी किसी भी परिस्थिति में बदली नहीं जायेगी।

iv. विज्ञापन के आधार पर किये गये आवेदन पर किसी भी प्रकार की विधिक कार्यवाही का निपटारा शिक्षुता अधिनियम 1961 (यथासंशोधित) के प्रावधानो के आधार पर किया जावेगा।

v. उम्मीदवार चयन हेतु म.प्र.पा.ज.कं.लि., अ.ता.वि.गृ., चचाई द्वारा बनाए गए एवं भविष्य में बनाए जाने वाले सभी नियमों एवं विनियमों का पालन करने के लिए बाध्य होंगे।

vi. शिक्षुता अवधि में अभ्यर्थियों को 13 दिवस के आकस्मिक अवकाश एवं 3 ऐच्छिक अवकाश तथा साप्ताहिक अवकाश की पात्रता रहेगी।

vii. दुर्घटना की स्थिति में कर्मचारी क्षतिपूर्ति नियम 1923 लागू होगा।

viii. म.प्र.पा.ज.कं.लि., अ.ता.वि.गृ., चचाई को बिना पूर्व नोटिस या कारण बताए, चयन प्रक्रिया को रद्द करने/सीमित करने/बढाने का अधिकार होगा।

ix. चयन न होने की स्थिति में उम्मीदवारों द्वारा कोई भी पत्राचार या पूछताछ स्वीकार नहीं की जाएगी।

x. उम्मीदवार ध्यान रखें कि, शिक्षुता अधिनियम 1961 की कंडिका 22(1) के अनुसार यह विज्ञापन शिक्षुता प्रशिक्षण के लिए है, नौकरी या रोजगार के लिए नहीं। प्रशिक्षण के उपरांत म.प्र.पा.ज.कं.लि., अ.ता.वि.गृ., चचाई किसी भी उम्मीदवार को रोजगार देने के लिए बाध्य नहीं होगा और नही इस संबंध में कोई विचार किया जाएगा।

xi. शिक्षुता अधिनियम 1961 की कंडिका 2(1) एवं (2) के अनुसार शिक्षुओं को प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरांत कौशल विकाश एवं उद्यमिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा, जिसके बाद उन्हें राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाणपत्र प्रदान किया जावेगा।

18. प्रशिक्षुओं को आवास की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। प्रशिक्षुण के दौरान कम्पनी के आवास रिक्त होने पर उपलब्धतानुसार ही निर्धारित शुल्क के आधार पद आवास आवंटित किये जा सकेगे। प्रशिक्षण के दौरान किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने पर प्रशिक्षु स्वयं जिम्मेदार होगा। म.प्र.पॉ.ज.कं.लि. की इसके लिए क्षतिपूर्ति की कोई जिम्मेदारी नही होगी।

(अविनाश सिंह)
अधीक्षण अभियंता (एम.पी.सी. एवं प्रशिक्षण)
अ.ता.वि.गृह, म0प्र0पॉ0ज0कं0लि0, चचाई

Annexure-I

CERTIFICATE OF MEDICAL FITNESS

The medical certificate should be signed by Government authorized Doctor (Gaz.), not below the rank of Asst. Surgeon of Central/State Hospital.

01. Name (In Block letters) S/D of.....

02. Age.....,, Height....., Weight.....,Chest Expansion.....

03. Vision in each Eye:

04. Hearing in both Ears:

05. Skin Whether any evidence of acute or chronic skin disease of chronic ulceration.

06. Speech:

07. Alimentary System:(a) Suger in Urine.....,(b) Hernia/Hydrocele/Piles.....

(c) Remarks, if any other disorder found.....

08. Cardio Vasular System:(a) Blood Pressure.....,

(b) Remarks, if any other disease is found.....

09. Respiratory System:

10. Genito Urinary System;

11. Skeletal System;

12. Nervous System:

13. Glandular System: Whether any evidence of tuberculosis/ or other disease of glandular system Including endocrine glands.....

I certify that I have examined Mr./Ms..... Son/ Doughter ofThe standard of physical fitness has been checked as per SCHEDULE-II (Rule-4) of Apprentices Rules 1992. He/She is physically fit for being engaged as an apprentices in a branch/Trade under the Apprentices Act. 1961.

.....

Signature of the candidate

Signature of the Medical Officer

With legible seal